भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 918
उत्तर देने की तारीख : 21.11.2019

भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान

918. श्री राजू बिष्टः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में किसी समुदाय की पहचान करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर बंगाल, विशेष रूप से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों में ''विरासत अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने'' के हाल ही के अनुरोध के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर बंगाल के कुरसेओंग जिले में ''भाषाई अल्पसंख्यक सशक्तिकरण हेतु समर्पित केंद्र'' स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान में या कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिनमें भाषाई अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक द्वारा अपनाई गई व्यवहार्य परिभाषा इस प्रकार हैः –

''भाषाई अल्पसंख्यक भारत के क्षेत्र में या इसके किसी भी हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों का समूह या समुदाय है जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा या लिपि है। अल्पसंख्यक समूह की भाषा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित बाईस भाषाओं में से एक होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों का अभिप्राय लोगों के ऐसे समूह या समूहों से है जिनकी मातृभाषाएं राज्य की मुख्य भाषा से भिन्न हैं और जिला तथा तालुका/तहसील स्तरों पर संबंधित जिले या तालुका/तहसील की मुख्य भाषा से भिन्न हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार, व्यापक भाषाई प्रोफाइल आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक (सीएलएम) की 52वीं रिपोर्ट में उपलब्ध है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन दार्जिलिंग जिले में दो केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक हैं, नामतः (i) अलेक्जेंडर–कॉस्मा डि कोरोस का मकबरा और (ii) जनरल लॉयड का मकबरा। एएसआई के अधीन कालिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिले में केंद्रीय रूप से संरक्षित कोई स्मारक नहीं है। दार्जिलिंग जिले में उपर्युक्त दोनों स्मारकों के दैनिक रखरखाव के कार्य किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कुर्सियांग जिले में किसी ऐसे भाषाई अल्पसंख्यक सशक्तीकरण केंद्र का अनुमोदन नहीं किया गया है।

******